


छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर




अधिसूचना

रायपुर, दिनांक - 3/3/10

क्रमांक एफ 10-2/2010/16:- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा अधिनियम की धारा 40 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपालन हेतु प्रदेश के समर्त कारखाना निरीक्षकों को उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिये निरीक्षक घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार


  
(अनुराग लाल)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग  


NOTIFICATION

No. F 10-2/2010/16:- In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 42 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 ( 27 of 1996) the State Government appoints all the Factory Inspectors as Inspectors for enforcement of Section 40 read with Chhattisgarh Building and Other Construction Construction Workers Rule 2008, in their jurisdiction.

By order and in the name of  
Governor of Chhattisgarh

  
(Anurag Lall)  
Deputy Secretary  
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-2 / 2010 / 16


रायपुर दिनांक -

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)
7. मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य संनिर्माण, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. प्रभारी पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)
9. ✓ श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)
10. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
11. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी ..... (छ.ग.)
12. संचालक, जनसंपर्क रायपुर (छ.ग.)
13. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना की राजपत्र पत्र में प्रकाशित 25 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
३.३.१०

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
मंत्रालय  
दाँड़ कल्याण सिंह भवन, रायपुर



अधिसूचना

रायपुर, दिनांक - 3/3/10

क्रमांक एफ 1-3/2009/16:- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त(1996 का 27) के अधीन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1/2006/16 दिनांक 26.05.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के पैरा 3 में "समर्त श्रम निरीक्षकों" के स्थान पर "समर्त श्रम निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों" पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(अनुराग लाल)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

NOTIFICATION

No. F 1-3/2009/16:- The State Government amends the para 3 of previously issued notification No. F 10-1/2006/16, dated 26.05.2009 under the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) to the extent that in place of "All Labour Inspectors" "All Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors" be read.

By order and in the name of  
Governor of Chhattisgarh

(Anurag Lall)  
Deputy Secretary  
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क. एफ 1-3 / 2009 / 16

रायपुर दिनांक - 3/3/10

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- 3 मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
- 4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- 5 निज सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- 6 क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)
- 7 मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य संनिर्माण, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 8 प्रभारी पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)
- 9 ✓ श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)
- 10 कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
- 11 सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी ..... (छ.ग.)
- 12 संचालक, जनसंपर्क रायपुर (छ.ग.)
- 13 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना की राजपत्र पत्र में प्रकाशित 25 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेरा  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
३.३.१०

छत्तीसगढ़ शासन  
श्रम विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना


रायपुर, दिनांक ३/३/१०

क्रमांक एफ १०-३/२०१०/१६:- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का २७) की धारा १२(२) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम २७२ के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये समस्त श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रधिकृत अधिकारी नियुक्त करता है।

२/ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का २७) की धारा १२(५) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम २७२ के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय के संबंध में अपील हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को उनकी क्षेत्राधिकारिता में अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है।

३/ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का २७) की धारा १२(३) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार नियम २७२ के तहत हिताधिकारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाले कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण हेतु रूपये १०/- (वार्षिक) रजिस्ट्रीकरण शुल्क/नवकरण शुल्क निर्धारित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

  
(अनुराग लाल)  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग  


3. श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)
10. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
11. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी ..... (छ.ग.)
12. संचालक, जनसंपर्क रायपुर (छ.ग.)
13. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना की राजपत्र पत्र में प्रकाशित 25 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

५८

(पा४)  
स्थान सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
३०-३-१०

## NOTIFICATION

No. F 10-3/2010/16:- In exercise of the powers conferred by section 12(2) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Labour Inspectors and Labour Sub Inspectors as Authorised officers for Chhattisgarh State for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008

- 2/ In exercise of the powers conferred by Section 12(5) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government appoints all Asst. Labour Commissioner and Labour Officers as Appeal Authority in their jurisdiction against the decisions of Authorised officer for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008
- 3/ In exercise of the powers conferred by Section 12(3) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) the State Government fixed Rs. 10/- as registration/renewal fee (annual) for the workers who fulfill conditions as prescribed for registration of beneficiaries under rule-272 of Chhattisgarh Building and Other Construction Workers Rule, 2008

By order and in the name of  
Governor of Chhattisgarh

  
(Anurag Lall)  
Deputy Secretary  
Govt. of C.G. Labour Deptt.

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-3/2010/16

रायपुर दिनांक 3/3/10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, अम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)
7. मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य संनिर्माण, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. प्रभारी पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)